न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

वाद संख्या–49/2011

(धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम)

आदेश

राज्य सरकार.....आवेदक

बनाम

1) मो0 सुकारु – जन विवरण प्रणाली दुकानदार,
पंचायत – कनफलिया, प्रखंड – बैसा, जिला पूर्णियाँ।
2) जमशेद पिता – मो0 कफील,
सा0 – सिरसी (पिक अप भान मालिक) गाड़ी नं0 बी0 आर0 11–9992
3) गाड़ी चालक – अज्ञात.....विपक्षीगण

रौटा थाना काण्ड सं0 38/10 दिनांक 17.8.10 के आलोक में जप्त 34 बोरा गेहूँ तथा 30 बोरा चावल को पत्रांक 197/सी0आर0 दिनांक 22.1.11 पुलिस अधीक्षक कार्यालय पूर्णियाँ द्वारा अधिग्रहण के प्रस्ताव पर यह वाद विपक्षीगण के विरुद्व धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत प्रारंभ की गई।

विपक्षीगण को इस संबंध में सूचना दी गई कि 15 दिनों के अन्दर कारण पृच्छा दाखिल करे कि क्यो नहीं जप्त खाद्यान्न को अधिग्रहीत कर विकी राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी जाय ?

प्राथमिकी के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन में आपूर्ति निरीक्षक, अमोर ने प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी सं0 1 मो0 सुकारु जन वितरण प्रणाली दुकानदार है, जिसकी अनुज्ञप्ति सं0 45/07 है। जप्त गेहूँ एवं चावल अन्त्योदय योजना एवं बी0पी0एल0 योजना का था जिसे कालाबाजारी करने के उद्वेश्य से बाहर ले जा रहा था। भंडार के भौतिक सत्यापन से भी ज्ञात होता है कि जप्त खाद्यान्न विपक्षी सं0 1 द्वारा ही कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था।

विपक्षी सं0 1 मो0 सुकारु अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किए हैं कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बी0पी0एल0 पंजी एवं कूपन की जाँच किए बगैर ही भंडार में 34 बोरा गेहूँ एवं 30 बोरा चावल कम पाए जाने का प्रतिवेदन समर्पित किया है। जबकि वे प्राप्त खाद्यान्न का वितरण कर चुके है और जप्त खाद्यान्न से उसका कोई संबंध नही है।

विपक्षी सं0 2 ने अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किया है कि गाड़ी सं0 BR–11–9992 से उसका कोई संबंध नही है। उसके गाड़ी का नं0 BR–11E–9296 है। विपक्षी सं0 2 ने भी जप्त खाद्यान्न के अधिग्रहण में कोई आपत्ति नहीं किया है।

वाद की सुनवाई के क्रम में विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने भी जप्त खाद्यान्न को राजसात करने की अनुशंसा की है।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जप्त खाद्यान्न बी0पी0एल0/अन्त्योदय योजना का है जिसे कालाबाजारी के उदेश्य से बाजार ले जाया जा रहा था, जिसके अधिग्रहण हेतु पुलिस अधीक्षक ने अनुशंसा की है। विपक्षीगण ने जप्त

खाद्यान्न को अधिग्रहण करने में कोई आपत्ति नही किया एवं विशेष लोक अभियोजक ने भी खाद्यान्न को राज्यसात करने की अनुशंसा की है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया जाता है कि जप्त खाद्यान्न को राजसात कर राशि को कोषागार में जमा कर दी जाय। अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी को आदेश दिया जाता है कि किन्ही विभागीय पदाधिकारी के माध्यम से जप्त खाद्यान्न को बिक्री कर बिक्री राशि सरकारी खजाने में जमा कर सूचित करे।

इसके साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं सेशोधित।

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।